69

संख्या 144 / उन्तीस(2) / 12–2(30पे0) / 2011टी0सी0–1

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 26 मार्च, 2012

विषय :– **जनपद टिहरी एवं रूद्रप्रयाग के 02 प्राथमिक विद्यालयों को पेयजल से संतृप्त किये जाने हेतु संशोधित आगणन के अनुसार धनराशि अवमुक्ति विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 7335 / अप्रै0–03 / एन0आर0 डी0डब्ल्यू0पी0 / 2011–12 दिनांक 12.01.2012 एवं पत्र संख्या 7644 / अप्रै0–03 / विद्यालय पे0व्य0 / 2011–12 दिनांक 03.02.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी की नागराजधार एवं जनपद रूद्रप्रयाग की गुरछोली गोली प्राथमिक विद्यालयों को पेयजल से संतृप्त किये जाने हेतु पूर्व में स्वीकृत / अनुमोदित प्राक्कलनों के अनुसार प्रस्तावित जल स्रोतों में विवाद होने के फलस्वरूप आप द्वारा गठित संशोधित आगणन क्रमश ₹ 4.38 लाख एवं ₹ 5.07 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि क्रमशः ₹ 3.82 लाख एवं ₹ 4.72 लाख में से शासानादेश संख्या 856 / उन्तीस(2) / 11–2(30पे0) / 2011टी0सी0–1 दिनांक 11.08.2011 द्वारा पूर्व में स्वीकृत धनराशि ₹ 2.05 लाख (क्रमांक–175) एवं ₹ 1.01 लाख (क्रमांक–196) का समायोजन करते हुए क्रमशः ₹ 1.77 लाख एवं ₹ 3.71 लाख अर्थात् कुल ₹ 5.48 लाख (₹ पॉच लाख अठतालिस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा। मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान धनराशि आहरण के पश्चात प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम को उनके द्वारा संतृप्त किये जाने वाले विद्यालयों हेतु धनराशि अपने स्तर से हस्तान्तरित करेगे। आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

3. शासनादेश की अन्य शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश के अनुरूप ही रहेगा। समयान्तर्गत सम्बन्धित विद्यालयों को पेयजल से पूर्ण रूप से संतृप्त करते हुए शासन एवं निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को भी आवश्यक रूप से अवगत कराया जाय। कार्य अनुमोदित आंगणन के सापेक्ष ही किया जाना होगा। अर्थात आंगणन पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

.......................2

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–आयोजनागत –102–ग्रामीण जलपूर्ति–03–ग्रामीण पेयजल सेक्टर–00–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

5 यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–152/XXVII (2)/2012 दिनांक 23 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
अपर सचिव

पृ0सं0 144 (1) /उन्तीस (2)/12–2(30पे0)/2011 टी0सी0–1 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ।
8. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
11. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव